न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–सिंगरौली

निगरानी-3220/2018/सिंगरौली/भू.रा

बृजमोहन प्रसाद मिश्र पुत्र श्री जगतराम मिश्र
निवासी – ग्राम शेरवा, तहसील चितरंगी,
जिला सिंगरौली (म.प्र)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली
(म.प्र)

...... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 26.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टार, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2012–2013/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, ग्राम शेरवा, तहसील चितरंगी, में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 1/8 रकवा 0.800 है0 एवं 98/11 रकवा 1.200 है0 कुल किता 2 रकवा 2.000 है0 हैक्टेयर पर आवेदक का वर्ष 1975–76 के पूर्व से काबिज होकर कास्त करता आ रहा हैं। इस भूमि का उनके द्वारा विधिवत अतिक्रमण जमा किया गया है, पूर्व कब्जे के आधार पर आवेदक द्वारा भूमि का व्यवस्थापन अपने नाम करवाये जाने बावत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार चितरंगी द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण कमांक 15/अ–19(4)/1980–81 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। ग्राम पटवारी से प्रतिवेदन बुलाया गया, जिसमें यह रिपोर्ट दी गयी कि भूमि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग की भूमि है, आम निस्तार हेतु सुरक्षित नहीं है ना ही आम निस्तार के रूप में आती है। इस भूमि पर कोई ईमारती एवं फलदार वृक्ष नहीं है तथा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य में खसरे की नकलें वर्ष 1966–67 एवं 1972–73 से 1976–77 एवं 1977–78 तथा 1981–82 प्रदर्शित की गयी थी। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार मौके पर कब्जा आवेदक का पाया गया। इस तथ्य का उल्लेख पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में किया गया था तथा यह भी उल्लेख किया था कि आवेदक 2.000 है0 भूमि का व्यवस्थापन की पात्रता रखता है, अतः व्यवस्थापन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/3220/18/सिंग/भू.रा. ब्रजमोहन प्रसाद / म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभापको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 11/12-13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21/12/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुवत रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	